भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 473

(03 फरवरी, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए)

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी)

473. **श्री बिभु प्रसाद तराई:**
श्रीमती रूपकुमारी चौधरी:
श्री प्रदीप कुमार सिंह:
श्री मनीष जायसवाल:
श्री प्रदीप पुरोहित:
डॉ. के. सुधाकर:
श्री अरविंद धर्मापुरी:
श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल:
श्री दुलू महतो:
श्री रमेश अवस्थी:
श्री यदुवीर वाडियार:
श्री सुनील कुमार:
श्रीमती अपराजिता सारंगी:
श्री पी. पी. चौधरी:
श्री भर्तृहरि महताब:
श्री नलिन सोरेन:
श्री विनोद लखमशी चावड़ा:
श्री राहुल सिंह लोधी:
श्री गोडम नागेश:
श्री जुगल किशोर:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के कार्यान्वयन का राजस्थान सहित राज्यवार ब्यौरा और स्थिति क्या है;

(ख) बिहार का पश्चिम चंपारण जिला, दुमका लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र और जम्मू संघ राज्य क्षेत्र सहित पीएमएवाई-जी के अंतर्गत दिसंबर 2025 तक स्वीकृत, निर्मित और लाभार्थियों को सौंपे गए घरों की संख्या कितनी है;

(ग) पीएमएवाई-जी के अंतर्गत दिसंबर 2025 तक लंबित देनदारियों सहित जारी और उपयोग की गई धनराशि का पाली लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या मंत्रालय ने आवाससॉफ्ट , आवासप्लस 2024 सर्वेक्षण और प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ (पहल यानी डीबीटीएल) के अंतर्गत संस्थागत सुरक्षा उपायों की प्रभावशीलता का आकलन किया है ताकि दोहराव, छूट जाने की घटना और वित्तीय क्षति को रोका जा सके; और

(ङ) क्या तेलंगाना में कोई विशिष्ट अवरोध चिह्नित किया गया है और यदि हां , तो उठाए गए सुधारात्मक कदम और समय-सीमा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. चंद्र शेखर पेम्मासानी)

(क) ग्रामीण विकास मंत्रालय "सभी के लिए आवास" के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बुनियादी सुविधाओं के साथ पात्र ग्रामीण परिवारों को सहायता प्रदान करके मार्च 2029 तक 4.95 करोड़ मकान बनाने हेतु 1 अप्रैल, 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण लागू कर रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने पीएमएवाई-जी के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 4.14 करोड़ मकानों का लक्ष्य आवंटित किया है, जिसकी तुलना में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा 3.86 करोड़ से अधिक मकान स्वीकृत किए गए हैं और 28.01.2026 तक 2.95 करोड़ से अधिक मकान बनकर तैयार हो चुके हैं।
राजस्थान सहित देशभर में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के कार्यान्वयन की राज्य-वार स्थिति और विवरण अनुबंध-I में दिए गए हैं।

(ख) बिहार के पश्चिम चंपारण जिले , दुमका लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र और जम्मू संघ राज्य क्षेत्र में दिसंबर , 2025 तक पीएमएवाई-जी के तहत स्वीकृत और निर्मित मकानों का विवरण अनुबंध- II में दिया गया है।

(ग) पीएमएवाई-जी के तहत शुरुआत से लेकर 31 दिसम्बर 2025 तक जारी और उपयोग की गई निधि का राज्यवार विवरण अनुबंध- III में दिया गया है। पीएमएवाई-जी के तहत , राज्य / संघ राज्य क्षेत्रों को एक इकाई मानते हुए केंद्रीय सहायता सीधे राज्य / संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की जाती है। इन लाभार्थियों के लिए इन निधियों को आगे जारी करना संबंधित राज्य / संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा किया जाता है। वित्तीय वर्ष के अनुसार , उपयोग की गई निधि से संबंधित जिला-स्तरीय डेटा कार्यक्रम की वेबसाइट
https://rhreporting.nic.in/netiay/FinancialProgressReport/Report_HighLevel_Financial Progress.aspx. पर देखा जा सकता है।

(घ) आवाससॉफ्ट: आवाससॉफ्ट पीएमएवाई-जी के तहत ई-गवर्नेंस को सुविधाजनक बनाने के लिए एक द्विभाषी (हिंदी और अंग्रेजी) , अंतरण संबंधी वेब आधारित इलेक्ट्रॉनिक सेवा संवितरण मंच है। पीएमएवाई-जी के सभी महत्वपूर्ण कार्य जैसे लाभार्थी डेटाबेस से लाभार्थियों की पहचान करना, लक्ष्य निर्धारित करना , निधि जारी करना , लाभार्थी को स्वीकृति आदेश जारी करना , मकान निर्माण की प्रगति की निगरानी करना , लाभार्थी को सहायता राशि जारी करना आदि आवाससॉफ्ट के माध्यम से किए जाते हैं।
आवास + 2024 सर्वेक्षण: पीएमएवाई-जी के तहत संभावित पात्र परिवारों की पहचान करने के लिए, दिनांक 27.12.2024 से आवास + 2024 मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग करके एक अद्यतन प्रक्रिया शुरू हो गई है। आवास+ 2024 सर्वेक्षण की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

i संभावित लाभार्थियों का स्व-सर्वेक्षण और सहायक सर्वेक्षण: स्व-सर्वेक्षण लाभार्थी परिवार के सदस्य या अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा किया जा सकता है। सहायक सर्वेक्षण के लिए , राज्य / संघ राज्य क्षेत्र घरेलू सर्वेक्षण करने हेतु सर्वेक्षकों को पंजीकृत करेंगे।

ii अनिवार्य आधार आधारित चेहरा प्रमाणीकरण: इस ऐपलिकेशन तक पहुंच के लिए आधार आधारित ई-केवाईसी सत्यापन की आवश्यकता होगी।

iii. आवास प्रकार का चयन: उपयोगकर्ताओं को आवास डिजाइनों और राजमिस्त्री प्रशिक्षण कार्यक्रमों के विकल्प प्रस्तुत किए जाएंगे। जहां उपयोगकर्ता किसी भी आवास डिजाइन का चयन कर सकते हैं, चुने गए डिजाइन को केवल वरीयता के रूप में ही माना जाएगा।

iv. टाइम स्टैम्प और जियो-टैग की गई तस्वीरें: परिवार के मौजूदा मकान और प्रस्तावित स्थल की तस्वीरें (यदि वे योग्य पाए जाते हैं और पीएमएवाई-जी के तहत लाभ प्राप्त करते हैं) अगले चरण में ली जानी चाहिए। इन तस्वीरों को उनके सटीक स्थान और समय को रिकॉर्ड

करने के लिए जियो-टैग और टाइम स्टैम्प किया जाता है। इसके बाद पात्रता का आकलन करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) मॉडल का उपयोग करके इन तस्वीरों का विश्लेषण किया जाएगा।

धोखाधड़ी वाले कार्यकलापों पर अंकुश लगाने और संभावित कदाचार की जानकारी प्रदान करने के लिए पीएमएवाई-जी के तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) / मशीन लर्निंग (एमएल) मॉडल का उपयोग किया जाता है, और इसका विवरण निम्नानुसार है:-

i. सिफारिश प्रणाली मॉड्यूल, निर्मित मकान की अपलोड की गई तस्वीरों में विभिन्न मकान विशेषताओं जैसे पक्की दीवार , पक्की छत, कच्ची दीवार, कच्ची छत, लोगो, खिड़की, दरवाजा और व्यक्ति की पहचान करता है और अनुमोदन के लिए आखिरी तस्वीर की सिफारिश करता है।

ii. विसंगति पहचान और धोखाधड़ी निवारण मॉड्यूल , इस संबंध में किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी वाले कार्यकलाप को रोकने के लिए निरीक्षण किए जा रहे मकान की तस्वीर और आसपास के अन्य मकानों के बीच समानता स्कोर की गणना करता है।

iii. पीएमएवाई-जी लाभार्थियों के सत्यापन के लिए आधार और एआई-सक्षम चेहरा प्रमाणीकरण तकनीक के साथ एकीकरण के माध्यम से लाभार्थियों की ई-केवाईसी।

iv. जीवंतता का पता लगाना: लाभार्थियों की पहचान के लिए आवास ऐप में आई ब्लिंक / गति का पता लगाने की सुविधा।

प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ (पहल यानी डीबीटीएल) एलपीजी सब्सिडी के लिए एक प्रणाली है और यह सीधे पीएमएवाई-जी से संबंधित नहीं है। हालांकि , पीएमएवाई-जी के तहत, लाभार्थियों को सहायता प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के रूप में आवाससॉफ्ट-पीएफएमएस प्लेटफॉर्म के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से अंतरित की जाती है। वर्तमान चरण (वित्तीय वर्ष 2024-29) के दौरान, लाभार्थियों को सहायता की प्रगति से जुड़ी किश्तों का भुगतान आधार भुगतान ब्रिज का उपयोग करके किया जा रहा है।

पीएमएवाई-जी की सभी स्तरों पर बहुत बारीकी से निगरानी की जाती है। निर्माण की गुणवत्ता और समय पर पूरा होने पर विशेष जोर दिया गया है। योजना के मूल्यांकन के लिए किए गए अध्ययनों का विवरण निम्नानुसार है: -

i. राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान (एनआईपीएफपी) द्वारा "प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण के शासन मानकों का मूल्यांकन": तीन चरणों वाला "प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण के शासन मानकों का मूल्यांकन" राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान

(एनआईपीएफपी) द्वारा किया गया था , जिसमें लीकेज को कम करने में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के प्रभाव का आकलन भी शामिल था।

ii. राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडी एंड पीआर) द्वारा पीएमएवाई-जी का प्रभाव मूल्यांकन : यह अध्ययन यह पता लगाने कि कार्यक्रम के उद्देश्यों को लक्षित आबादी की वास्तविक स्थितियों में सुधार के संबंध में किस हद तक पूरा किया गया और नए मकान के स्वामित्व के परिणामस्वरूप लक्षित आबादी द्वारा अनुभव किए गए सामाजिक-आर्थिक सुधार का आकलन करने के लिए एनआईआरडी एंड पीआर द्वारा किया गया था। यह तीन राज्यों अर्थात मध्य प्रदेश , ओडिशा और पश्चिम बंगाल (छह जिलों में 24 ग्राम पंचायतों को शामिल करते हुए , 1382 पीएमएवाई-जी लाभार्थियों का साक्षात्कार) में आयोजित किया गया था।

iii. नीति आयोग – पीएमएवाई-जी के संबंध में "सीएसएस योजना का मूल्यांकन – ग्रामीण विकास क्षेत्र" - 2020-21: नीति आयोग के विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय (डीएमईओ) द्वारा प्रायोजित मूल्यांकन अध्ययन के तहत , 6 चुनी गई केंद्र प्रायोजित योजनाओं का विस्तृत योजना स्तर पर 636 पेज 4 में से 6 का विश्लेषण किया गया जिसमें शामिल हैं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी , पीएमएवाई-जी, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी), दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) , प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) और श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन (एसपीएमआरएम)। इनमें से प्रत्येक योजना का मूल्यांकन प्रासंगिकता , प्रभावशीलता, दक्षता, स्थायित्व, प्रभाव और समानता के आधार पर आरईईएसआई+ ई फ्रेमवर्क का उपयोग करके किया गया है। इस अध्ययन के तहत, पीएमएवाई-जी के निष्पादन का आकलन क्रॉस सेक्शनल विषयों जैसे जवाबदेही और पारदर्शिता , महिलाओं को मुख्यधारा में लाना , सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग, सुधार और नियम आदि का उपयोग करते हुए किया गया है।

(ङ) पीएमएवाई-जी का प्रारंभिक लक्ष्य मार्च 2024 तक 2.95 करोड़ मकानों का निर्माण करना था। भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 के दौरान 2 करोड़ अतिरिक्त मकानों को पूरा करने के लिए पीएमएवाई-जी के कार्यान्वयन को 5 और वर्षों के लिए अनुमोदन दे दिया है।

पीएमएवाई-जी के तहत वित्तीय वर्ष 2016-17 और 2017-18 के लिए तेलंगाना राज्य को 70,674 मकानों का लक्ष्य आवंटित किया गया था और योजना के कार्यान्वयन के लिए वित्त वर्ष

2016-17 के लक्ष्यों के लिए केंद्रीय हिस्से की पहली किश्त के रूप में 190.79 करोड़ रुपये भी जारी किए गए थे।

हालांकि, तेलंगाना राज्य ने पीएमएवाई-जी योजना को लागू नहीं किया और भारत सरकार को 190.79 करोड़ रुपये की राशि वापस कर दी। इसके अलावा , राज्य ने जनवरी 2018 से मार्च 2019 के दौरान आवास + 2018 सर्वेक्षण नहीं किया था और इसलिए राज्य में पीएमएवाई-जी के तहत पात्र परिवारों की पहचान नहीं की जा सकी थी और इस प्रकार , आज की दिनांक तक राज्य को कोई लक्ष्य आवंटित नहीं किया जा सका था।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, तेलंगाना सरकार ने राज्य में पीएमएवाई-जी को लागू करने की अपनी इच्छा व्यक्त की है। मंत्रालय ने आवास + 2024 सर्वेक्षण के संचालन में राज्य को सहायता प्रदान की है जिसकी शुरुआत आवास + 2024 मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग करके पीएमएवाई-जी के तहत संभावित पात्र ग्रामीण परिवारों की पहचान के लिए दिनांक 27.12.2024 से हुई थी। राज्य में घरेलू सर्वेक्षण पूरा हो चुका है और वर्तमान में तेलंगाना सहित राज्य / संघ राज्य क्षेत्र इस मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों और आवाससॉफ्ट प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) और आवास+ 2024 मोबाइल एप्लिकेशन में प्रदान किए गए मॉड्यूल के अनुसार स्वयं सर्वेक्षण मामलों की पुष्टि , चिह्नित सर्वेक्षण मामलों के सत्यापन और अयोग्य परिवारों के विलोपन का कार्य कर रहे हैं। राज्यों के लिए सिस्टम जनरेशन प्राथमिकता सूचियों की तैयारी के लिए उपरोक्त कार्यकलापों / अभ्यासों का पूरा होना अनिवार्य है और कार्यकलापों के 100% पूरा होने के बिना, राज्य / संघ राज्य क्षेत्र आवास + 2024 घरेलू सर्वेक्षण से लक्ष्य के आवंटन के लिए पात्र नहीं होंगे।

आज की तारीख तक, आवास + 2024 घरेलू सर्वेक्षण से तेलंगाना सहित किसी भी राज्य / संघ राज्य क्षेत्रों को कोई लक्ष्य आवंटित नहीं किया गया है।

अनुबंध-I

प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण (पीएमएवाई -जी) के संबंध में लोकसभा में दिनांक 03.02.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 473 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

पीएमएवाई-जी के कार्यान्वयन का राज्य /संघ राज्य क्षेत्र वार विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	लक्ष्य	स्वीकृत	निर्मित
1	अरुणाचल प्रदेश	35,937	35,591	35,591
2	असम	29,87,868	29,08,410	21,22,269
3	बिहार	50,12,752	49,08,941	39,63,030
4	छत्तीसगढ	26,42,224	24,42,576	17,56,318
5	गोवा	257	254	243
6	गुजरात	9,02,354	8,29,032	6,81,222
7	हरियाणा	1,06,460	76,277	41,185
8	हिमाचल प्रदेश	1,21,502	97,245	61,070
9	जम्मू और कश्मीर	3,36,498	3,34,664	3,22,573
10	झारखंड	22,34,176	19,39,661	15,96,662
11	केरल	2,32,916	77,909	34,988
12	मध्य प्रदेश	57,74,572	49,77,369	41,37,739
13	महाराष्ट्र	43,70,829	41,42,043	16,36,300
14	मणिपुर	1,08,550	1,06,245	56,724
15	मेघालय	1,88,034	1,84,438	1,55,930
16	मिजोरम	29,967	29,959	25,303
17	नागालैंड	48,830	48,736	36,298
18	ओडिशा	28,49,889	28,07,390	25,11,530
19	पंजाब	1,03,674	76,612	46,281
20	राजस्थान	24,97,121	24,33,569	18,46,763
21	सिक्किम	1,399	1,397	1,393
22	तमिलनाडु	9,57,825	7,36,610	6,63,247
23	त्रिपुरा	3,76,913	3,76,195	3,73,794

24	उत्तर प्रदेश	36,85,704	36,55,980	36,41,844
25	उत्तराखंड	69,194	68,531	68,228
26	पश्चिम बंगाल	45,69,423	45,69,031	34,20,371
27	अंडमान और निकोबार	3,424	2,591	1,327
28	दादरा और नगर हवेली	11,206	10,584	5,831
29	दमन और दीव	158	158	44
30	लक्षद्वीप	45	53	45
31	पुदुचेरी	-	-	-
32	आंध्र प्रदेश	2,47,114	2,46,930	90,050
33	कर्नाटक	9,44,140	5,56,184	1,66,076
34	तेलंगाना	-	-	-
35	लद्दाख	3,004	3,004	3,004
	कुल	**4,14,53,959**	**3,86,84,169**	**2,95,03,273**

अनुबंध-।।

प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण (पीएमएवाई -जी) के संबंध में लोकसभा में दिनांक 03.02.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 473 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

शुरुआत से 31 दिसंबर 2025 तक पीएमएवाई-जी के तहत स्वीकृत और निर्मित मकानों का विवरण

राज्य का नाम	जिला का नाम	स्वीकृत	निर्मित
बिहार	पश्चिम चंपारण	1,97,723	1,63,570

राज्य का नाम	स्वीकृत	निर्मित
जम्मू और कश्मीर	3,34,660	3,18,286

लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र	स्वीकृत	निर्मित
दुमका	2,85,871	2,40,819

अनुबंध -III

प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण (पीएमएवाई -जी) के संबंध में लोकसभा में दिनांक 03.02.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 473 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

शुरुआत से 31 दिसंबर 2025 तक पीएमएवाई-जी के तहत जारी और उपयोग की गई निधियों का विवरण

			रुपये करोड़ में
क्र.सं	**राज्य**	**पीएम-जनमन सहित जारी कुल केंद्रीय हिस्सा**	**पीएम-जनमन सहित राज्यों द्वारा उपयोग की गई निधियां**
1	अरुणाचल प्रदेश	484.76	427.77
2	असम	28,648.84	31,873.09
3	बिहार	33,158.02	55,197.83
4	छत्तीसगढ	15,334.25	25,520.51
5	गोवा	2.84	5.51
6	गुजरात	5,672.07	9,164.75
7	हरियाणा	349.65	663.25
8	हिमाचल प्रदेश	1,150.40	1,186.20
9	जम्मू और कश्मीर	3,899.10	4,304.25
10	झारखंड	13,502.33	22,036.14
11	केरल	265.02	542.02
12	मध्य प्रदेश	35,187.82	55,331.85
13	महाराष्ट्र	18,706.83	31,084.45
14	मणिपुर	793.81	862.97
15	मेघालय	2,251.24	2,383.74
16	मिजोरम	319.01	351.56
17	नागालैंड	531.46	587.46
18	ओडिशा	20,825.59	33,508.74
19	पंजाब	505.46	802.49

20	राजस्थान	14,603.68	24,305.84
21	सिक्किम	15.67	18.60
22	तमिलनाडु	5,766.91	8,448.44
23	त्रिपुरा	4,799.66	4,912.09
24	उत्तर प्रदेश	27,195.67	44,299.04
25	उत्तराखंड	870.40	902.61
26	पश्चिम बंगाल	25,797.52	42,002.83
27	अंडमान और निकोबार	24.62	18.38
28	दादरा और नगर हवेली	87.70	166.47
29	दमन और दीव	0.58	0.63
30	लक्षद्वीप	0.70	0.59
31	पुदुचेरी	-	-
32	आंध्र प्रदेश	1,226.46	1,239.85
33	कर्नाटक	2,005.92	2,167.29
34	तेलंगाना	218.28	-
35	लद्दाख	21.98	21.07
	कुल	**2,64,224.42**	**4,04,338.47**
